राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

दूरभाष संख्या- 0141-2201061

क्रमांक- एफ1(ए)313/पार्ट-6/संस्था/बीमा/सहा.निदे./00142/ दिनांक : 6-04-2023

परिपत्र

विषयः- सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति बाबत्।

सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु विभागीय मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक-एफ1(ए)313/पार्ट-5/संस्था/बीमा/2021/8857 दिनांक 25.10.2021 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए थे परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि कई विभागीय कार्यालयों द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही है तथा बिना सम्पूर्ण परीक्षण किए ही प्रकरण मुख्यालय को भिजवा दिए जाते है जो कि अनुचित है। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अतिक्रमण में **परिपत्र दिनांक 28.03.2023** द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु नवीनतम मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं। अतः इस संबंध में पुनः निर्देश प्रसारित किये जाते है कि यदि कार्यालय में किसी संवर्ग का पद स्पष्ट रूप से रिक्त है एवं उस पद के लंबे समय तक (एक वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए) रिक्त रहने की संभावना है तो कार्यालय आवश्यकतानुसार **कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 (प्रतिलिपि संलग्न)** की पालना सुनिश्चित करते हुये, निम्नांकित प्रक्रिया की पालना कर वांछित दस्तावेजों सहित प्रकरण प्रेषित करें :-

1. परिपत्र में दिये गए निर्धारित प्रारूप के प्रत्येक बिन्दु (प्रत्येक बिन्दु के अनुसार वांछित दस्तावेज संलग्न कर) की पूर्ति कर, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उचित माध्यम द्वारा प्रकरण प्रेषित करें।
2. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एलपीसी एवं पीपीओ की स्वप्रमाणित प्रति (आवेदन प्रपत्र का बिन्दु संख्या 09 एवं 10) संलग्न करें।
3. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में से.नि. कार्मिक का सेवानिवृत्ति आदेश/वांछित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न करे।
4. जिस रिक्त पद के विरूद्ध कार्मिक को पुनर्नियुक्त किया जा रहा है उस पद के **बजट मद** का उल्लेख अवश्य करें।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवाएं कब से प्रारम्भ की गई तथा इस **पुनर्नियुक्ति अवधि को कब से कब तक बढ़ाया गया है, का उल्लेख (आवेदन प्रपत्र का बिन्दु संख्या 17) पत्र के साथ आवश्यक रूप से करें** अर्थात मुख्यालय से आदेश जारी होने के पश्चात् से.नि. कार्मिक कब से कब तक की अवधि (प्रत्येक सेवा अवधि का उल्लेख करे) में सेवा पर रहा, का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।
6. यदि से.नि. कार्मिक की पुनर्नियुक्ति अवधि में और अभिवृद्धि की जानी है तब भी बिन्दु संख्या 1 से 5 की पालना करते हुये (पूर्व में की गयी पुनर्नियुक्ति का पूर्ण विवरण/दस्तावेज भी प्रस्तुत करें) प्रकरण प्रेषित करें।
7. **सेवा समाप्ति के पश्चात्, बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी से.नि. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति पर ना रखें।** यदि कार्मिक की पुनर्नियुक्ति अवधि में वृद्धि की जानी है तो सेवा समाप्ति से पर्याप्त समय पूर्व ही प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित करे।

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.05 16:51:48 IST
Reason: Approved

Z:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\1680693678[illegible]

RajKaj Ref No. : 3229904

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर, दिनांक :– 28 MAR 2023

–:परिपत्र:–

विषयः–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में इस विभाग के द्वारा परिपत्र दिनांक 08.02.2018 जारी किया गया था।

वित्त विभाग की **आई.डी. 212300159 दिनांक 09.03.2022** द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में उपरोक्त परिपत्र के अधिक्रमण (Supersession) में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता के दृष्टिगत जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण/औचित्य दर्शाते हुए, प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।

दो वर्ष के बाद समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्वसहमति से ही की जा सकेगी।

उक्तानुसार समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :–

(1) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरूद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात् राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ, मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला/स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

(2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।

(3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त क़िया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(4) सेवानिवृत कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत हुआ है उस ही कैडर में रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।

(6) सेवानिवृत कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न **परिशिष्ठ–'क'** के अनुसार होगी।

(7) सेवानिवृत कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिए जाने हेतु **परिशिष्ठ–'ख'** पर संलग्न प्रारूप के अनुसार आदेश जारी किए जावें।

(8) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

(9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(10) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

(11) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

(12) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो तो, कार्मिक/वित्त

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव **संलग्न निर्धारित प्रपत्र** में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

यह दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगा।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए <u>निर्धारित प्रपत्र</u>

विभाग/कार्यालयः——————————————————
सेवा का नामः——————————————————

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम :——————————————
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है :——————————————
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन :——————————————
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख :——————————————
5. मूल विभाग का नाम :——————————————
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद :——————————————
7. धारित पद का वेतनमान ——————————————
(सेवानिवृत्ति के समय)
8 अनुभवः——————————————
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है):——————————————
10 मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति):——————————————
11. जिस पद के विरूद्ध पारिश्रमिक सेवाऐं ली जानी हैं, से संबंधित स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण (1)स्वीकृत पदों की संख्या——————
(2) रिक्त पदों की संख्या——— ——————— ——————————
12. (1) इस पद पर विभाग में कार्यरत नियमित कार्मिकों की संख्या——————
(2) सेवानिवृति के पश्चात् वर्तमान में पुनर्नियुक्त कार्मिकों की संख्या——————
(3) जिस पद के विरूद्ध समेकित सेवाऐं ली जानी हैं, वह पद कब से रिक्त चल रहा हैं ——————————————
(4) पुनर्नियुक्ति हेतु विचाराधीन उक्त कार्मिक की प्रथम पुनर्नियुक्ति के समय रिक्त पदों की संख्या——————————————
13. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद के विरूद्ध सेवाएं ली जानी है, का विवरण तथा उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार अब तक भरे जाने में विलम्ब के कारणः——————————————
——————————————
14. सेवानिवृत कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें:——————————————
15. क्या विभाग में रिक्त पदो के विरूद्ध भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हॉ तो किस स्तर पर?——————————————
16. यदि भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है तो उसका कारण?——————————————

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

17. रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं कब से ली जानी प्रारम्भ की गई (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस पुनर्नियुक्ति सेवा को कब से कब तक बढाया गया(आदेश की प्रति संलग्न) ——————————————————

18. वह कालावधि जिसके लिए समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि की जानी है: ——————————————————————————————

19. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि का विस्तृत औचित्यः———— ——————————————————————————————

स्थानः—
दिनांकः—

हस्ताक्षर एवं नाम
सक्षम / नियुक्ति प्राधिकारी मय सील

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

परिशिष्ट–'क'

सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं पर देय समेकित पारिश्रमिक राशि:–

क्र. स	पे–लेवल	परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के आधार पर समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)	दिनांक 01.04.2023 से समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
1.	L-1	6400/–	12200/–
2	L-2	6500/–	12400/–
3	L-3	7000/–	12600/–
4	L-4	7400/–	13200/–
5	L-5	9100/–	14400/–
6	L-6	9100/–	14800/–
7	L-7	9100/–	15500/–
8	L-8	10400/–	18100/–
9	L-9	10400/–	19800/–
10	L-10	12000/–	23300/–
11	L-11	13400/–	26100/–
12	L-12	17400/–	30600/–
13	L-13	19500/–	36600/–
14	L-14	19500/–	38700/–
15	L-15	21000/–	41900/–
16	L-16	21900/–	46400/–
17	L-17	23200/–	49000/–
18	L-18	24600/–	52000/–
19	L-19	25400/–	55100/–
20	L-20	29000/–	61300/–
21	L-21	40100/–	84900/–
22	L-22	42300/–	89500/–
23	L-23	46600/–	101300/–
24	L-24	47600/–	102700/–

नोट :–1. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड–पे/पे–लेवल से ए.सी.पी.योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।

2. उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत कार्मिक को भी देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

परिशिष्ट–'ख'

राजस्थान सरकार

विभाग का नाम.....

क्रमांकः

जयपुर, दिनांक :–

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत श्री .....सेवानिवृत.....(पदनाम) विभाग.....(सेवानिवृति के समय पदस्थापित) को विभाग.....(पदस्थापन किए जाने वाले कार्यालय का नाम) में रिक्त .....(पदनाम) के पद के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक ...../...../..... के **परिशिष्ट–'क'** के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

पुनर्नियुक्ति की शर्तें:–

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष से 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्य मान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवायें 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाइल/इंटरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

Signature valid

सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

8. सेवा समाप्ति के पश्चात्, संबंधित नियंत्रक अधिकारी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के से.नि. कार्मिक को यदि सेवा पर रखा जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी एवं से.नि. कार्मिक की होगी।

कृपया उक्तानुसार संपूर्ण विवरण सहित प्रकरण प्रेषित करें ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके, आवेदन अपूर्ण होने अथवा वांछित दस्तावेजों के अभाव में प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

क्रमांक- एफ1(ए)313/पार्ट-6/संस्था/बीमा/ सहा.निदे./00142/ 111-161 **दिनांक :** 06-04-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/परियोजना/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/साबीयो/आर.जी.एच.एस/एम.सी.डी.बी.वाई/समस्त संभाग/जिला कार्यालय.....
2. सिस्टम एनालिस्ट/एसीपी(सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.बी.सी.बधाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.05 16:51:48 IST
Reason: Approved

Z:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\1680693678[illegible]

RajKaj Ref No. : 3229904